न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 00022/2020 **दायरा दिनांक : 05.02.2020**

उनवान

राम कुमार पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी महुआ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामप्रसाद पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी महुआ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– दानमन पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी महुआ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– दीपचन्द उर्फ रामेश्वर दत्तक पुत्र अशोक कुमार मीणा, जाति मीणा, निवासी महुआ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– रामसिया पत्नी हजारी लाल, जाति मीणा, निवासी महुआ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल के प्रकरण संख्या – 118/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी/रेस्पोडेंट कम 1 व अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 4 के संयुक्त खाते की आराजी वाके ग्राम महुवा, तहसील मांगरोल में खाता संख्या 275 पुराना 96 में खसरा नम्बर 512/1148 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 546 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 817/1174 रकबा 0.93 हेक्टर, खसरा नम्बर 818 रकबा 1.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 819 रकबा 0.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 1365 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.99 हेक्टर कुल 9 किता कुल रकबा 5.03 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का संयुक्त स्वामित्व में राजस्व रेकार्ड में आराजी दर्ज है । पक्षकारान वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर पृथक पृथक खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.04.2019 को प्राथमिक डिकी जारी कर दी, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, न्याय व संचिका में प्राप्त तथ्यों के खिलाफ है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिकी जारी करते वक्त वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 तथा अपीलांट प्रतिवादी कम 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का उक्त संयुक्त खाते की आराजी में कितना हिस्सा है तय किये बिना ही कब्जे काश्त के आधार पर वादग्रस्त आराजी पृथक पृथक खाते में दर्ज करने का आदेश देकर त्रुटि की है । बिना हिस्सा निर्धारण किये संयुक्त खाते की आराजी में प्राथमिक डिकी जारी कर दी है, जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 04.04.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.11.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

([illegible])
[illegible]
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस पक्षकार का कितना हिस्सा बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 2 व 3 को अनुपस्थित बताया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 24.07.2019 को प्रतिवादी कम 2 व 3 की ओर से वकालतनामा लगा हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 04.04.2019 को पक्षकारान की सहमति से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाना बताया गया है । सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.02.2019 को पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दिनांक 04.04.2019 को पेश होने का अंकन है । दिनांक 04.04.2019 को बंटवारा कराने में दोनों पक्षकार सहमत हैं, का अंकन है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.07.2019 को प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश करना बताया गया है तो फिर दिनांक 04.04.2019 को बंटवारा कराने में कौनसे पक्षकार सहमत थे, स्पष्ट नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किया जाना बताया है लेकिन आदेशिका में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, इससे स्पष्ट है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी का कितना हिस्सा है एवं प्रतिवादी का कितना हिस्सा है इस बाबत रिक्त स्थान छोड़ा गया है । वाद पत्र में ही वादी द्वारा क्या अनुतोष चाहा गया है यह स्पष्ट नहीं है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है ।

(महेन्द्र लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन सहायक अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.07.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा